

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/2015-16 एवं 2016-17/21

जयपुर, दिनांक:- 18.02.2025


आज्ञा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2018 (बैच-2021) में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों में से राजस्थान लेखा सेवा में दो वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को राजस्थान लेखा सेवा नियमों के नियम 35 के अंतर्गत उक्त सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इनके द्वारा हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति/सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के समक्ष अंकित दिनांक से स्थाई किया जाता है :-

क्र. सं.	मेरिट नं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण तिथि	परीवीक्षा में लिया गया असाधारण अवकाश	स्थाईकरण की तिथि
1.	252	करण सिंह	15.03.2022	—	15.03.2024
2.	215	कृष्ण कुमार शर्मा	27.12.2021	33	29.01.2024
3.	136	कुलदीप बारहठ	31.01.2022	—	31.01.2024
4.	219	कुशलपाल सिंह	08.03.2022	—	08.03.2024
5.	922	महेश कुमार मीणा	29.03.2022	—	29.03.2024
6.	411	ओमप्रकाश चौधरी	04.01.2022	—	04.01.2024
7.	109	पंकज पोटलिया	27.12.2021	84	20.03.2024
8.	624	परवीन मीना	30.03.2022	—	30.03.2024

नोट:- उक्त आज्ञा इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13.02.2025 के अतिक्रमण में जारी की जाती है।


आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, ह.च.मा. रीपा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित अधिकारी।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव